

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-0135-2767611

संख्या:- ५४९ FP/UK/ROAD/28766/2017 देहरादून: दिनांक २८ अगस्त, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:-जनपद-ठिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के किमी0 4 से आगे बरसीला पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/28766/2017

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 28-08-2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 28-08-2018 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :—

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Some other documents uploaded in place of alternative examined at para D (ii) a online part I.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित मोटर मार्ग के टोपोशीट मैप में वैकल्पिक मोटर मार्ग के सरेखण को नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है।
2	In VLC proceedings of village Bainjwari, name of village Nakheri mentioned in last para. Also VLC of village both not submitted.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम नखैरी तथा पौथ कोई ग्राम सभा नहीं है अपितु ग्रामसभा-बैंजवाड़ी के ही हिस्सा है, जिस हेतु पृथक से VLC submit नहीं की गयी है।
3	As per DSS report, area calculation of CA proposed is 6.40 ha instead of 3.745 ha.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.8725 हेक्टर भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.7450 हेक्टर का संशोधित जियोरिफरेन्स मैप एवं टोपोशीट मैप उपलब्ध कराये गये हैं। जिसकी मूल प्रति आपकों अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। साथ ही संशोधित केंद्रीय फाईल आनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्न-01)
4	CA area name mentioned in part II para 13 is Bainjwari, that is however in CA scheme it is mentioned kothar (dagar).	बिन्दु संख्या-04 के क्रम में अवगत कराना है कि पार्ट ॥ के पैरा 13 (ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित थाती डागर की सिवलि भूमि का ही उल्लेख किया गया है तथा प्रस्ताव में संलग्न उपयोगिता प्रमाण-पत्र में भी थाती डागर का ही उल्लेख किया गया है।
5	NPV calculation sheet submitted in hard copy is incorrect.	बिन्दु संख्या-05 के क्रम में संशोधित एनोपी०वी० की धनराशि का आंकलन प्रपत्र संलग्न किया गया है। (संलग्न-02)
6	The number of trees affected are mentioned as 70 in hard copy, where as it is mentioned as 69 as per enumeration	बिन्दु संख्या-06 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया है कि पार्ट ॥ के पैरा 13 (i) में त्रुटिवश 69 वृक्षों का उल्लेख हो गया

	list uploaded in part II.	था जिसे प्रभाग स्तर से संशोधित कर दिया गया है तथा कुल 70 वृक्षों का विवरण यथा स्थान पर अंकित कर दिया गया है।
7	Four Sites mentioned for muck dumping in muck dumping plan but same is not mentioned at para B-2.4 online part I.	बिन्दु संख्या-07 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण नाप भूमि में किया जाना प्रस्तावित है जिसका स्वामित्व काश्तकारों का ही होगा तथा मक डम्पिंग हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली भूमि का विवरण कम्पोनेन्ट्वार ब्रेकअप में तकनीकी कारणों से शामिल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिस हेतु पार्ट I के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-17 में कम्पोनेन्ट्वर ब्रेकअप अपलोड किया गया है। (संलग्न-03)
8	Following documents have not been found uploaded in web portal. (i) CA scheme. (ii) CA site suitability certificate. (iii) Work not start certificate. (iv) Work not start certificate. (v) Bar chart. (vi) Geologist report. (vii) Joint inspection report.	उक्त आपत्ति का निराकरण कर पार्ट I के एडिशनल इन्फॉरमेशन में अपलोड कर दिया गया है।
9	Signed copy of part I, II, IV, V and muck disposal plan not found in hard copy.	बिन्दु संख्या-09 के अनुपालन में पार्ट I एवं पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है। पार्ट -IV व पार्ट V की प्रति उच्च स्तर से अपेक्षित है एवं मक डिस्पोजल प्लान संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-04 एवं 05)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्न—यथापरि।

भवदीय,
 मिली मिली 26/8/19
 (डीजे०के० शर्मा)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी